

प्रेषक,

राधा रत्नडी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

१. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।

✓ समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

२. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग

देहरादून, दिनांक: १० मार्च, 2025

विषय : 'मेरी योजना' पुस्तकों के संबंध में आमजन में जागरूकता फैलाये जाने विषयक।
महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा, राज्य के समस्त विभागों एवं केन्द्र के उत्तराखण्ड में स्थापित प्रतिष्ठित संस्थाओं की समस्त योजनाओं/सेवाओं को संकलित कर गत वर्ष 2023 में 'मेरी योजना' गत वर्ष 2024 में 'मेरी योजना-राज्य सरकार' तथा वर्ष 2025 में 'मेरी योजना-केन्द्र सरकार' 03 पुस्तकों तैयार की हैं, जिनकी पीडीएफ प्रति आमजन हेतु निःशुल्क उत्तराखण्ड सरकार के पोर्टल <https://uk.gov.in/pages/meri-yojna-book> के लिंक में उपलब्ध है।

इन पुस्तकों की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा संचालित (राज्य पोषित/केन्द्र पोषित) मुख्य योजनाओं/सेवाओं, तथा केन्द्र के राज्य में स्थापित प्रतिष्ठित संस्थान (यथा IIT, IIM, CBRI, IIRS, IMA, HNBGU, IGNU, NIOS, etc) की योजनाओं/सेवाओं/पाद्यक्रमों का उल्लेख सरल हिन्दी भाषा में किया गया है तथा योजना/सेवा क्या है, कौन पात्र हैं, इसका लाभ क्या है, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी आदि) का उल्लेख किया है ताकि वंचित पात्र लाभार्थी (लाभार्थी एक गरीब व्यक्ति भी है तो एक इनवेस्टर भी, एक दिव्यांग भी है तो एक खिलाड़ी भी, मुख्यतः सभी वर्ग, आयु, समाज से जुड़े व्यक्ति) योजनाओं/सेवाओं की जानकारी इन पुस्तकों से प्राप्त कर सकें। साथ ही लाभ कैसे ले सकते हैं, की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर, आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा 'सरकार जनता के द्वार' के तहत ग्राम स्तर पर, जनपद स्तरीय अधिकारियों का रोस्टरवार भ्रमण कराया जाता है, जिसमें जनता की समस्याओं के समाधान पर मुख्य फोकस किया जाता है।

अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 'मेरी योजना' 03 पुस्तकों के संबंध में, आमजन एवं दूरस्थ इलाकों में संबंधित जानकारी को प्रचारित/प्रसारित करने हेतु गोष्ठी/जागरूकता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित करें। साथ ही जब भी कोई अधिकारी भ्रमण अवश्य बताएं ताकि योजनाएं/सेवाएं वंचित पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सकें। साथ ही जनपद/विकासखण्ड/ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों को योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का सहयोग लेने हेतु ईमेल आईडी sopi-1@uk.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(राधा रत्नडी)
मुख्य सचिव

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृष्ठ सं.: 6514 /डिग्री प्लान/2024-25

दिनांक: 12 मार्च, 2025

समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड, को
पत्र में दिये गये निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ अन्जु अग्रवाल)
निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

पृष्ठांकन :- /44/XXVI-A-1/2024 (टीसी-2) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए संबंधित पुस्तकों में उल्लिखित केन्द्रपोषित/राज्यपोषित योजनाओं/सेवाओं का, अपने स्तर से सोशलमीडिया में भी प्रचार/प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(राधा रत्नाङ्की)
मुख्य सचिव